

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-145/2019/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती जानसी पी. सेवियर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र, दुलमाना, खण्ड पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, जिनकी जन्मतिथि 01.05.1968 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 02.01.1990 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2019 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि 01.05.2019 अकार्य दिवस मानी जावेगी।

इनके विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

६ -

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-145/2019/524 दिनांक:- 14/5/19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 1232/ACS/M&H/19 दिनांक 26.02.2019 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 330 दिनांक 20.02.2019 के क्रम में।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीबंगा (जिला हनुमानगढ़)।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

7
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर